

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक वे हाऊसकीपर के पद से संबन्धित हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में हाऊसकीपर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, हाऊसकीपर (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
हाऊसकीपर	04* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200 रु.)

चयन अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)
लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु चालीस वर्ष और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबन्धित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)
किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से कार्यरत अस्पताल या कैटीन में तीन वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा (11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधीन अधिकारी (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-1 (18000-56900 रु.) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। और (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके

	<p>अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>विभागीय पुष्टि समिति :-</p> <p>(1) उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली — अध्यक्ष</p> <p>(2) अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी - सदस्य</p> <p>(3) प्रशासनिक अधिकारी — सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

[सं. ए. 11018/03/2017-एमएच-III]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 15th February, 2019

G.S.R. 63.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Housekeeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the posts of Housekeeper in Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, of Delhi under Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Housekeeper (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, level in the pay matrix or pay scale.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Housekeeper	4* (2018) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees
(6)	(7)	(8)
Between 18-25 years (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep...	12 th pass from a recognised Board and three years experience in running Hospital or canteen by recognised Institution	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for direct recruitment	By deputation (Including short term contract) failing which direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made
(11)
Deputation (including short term contract) : (I) officers under the Central or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertaking or University or recognised research Institution ;

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with three years regular service, Level-1 , in Pay Matrix, (Rs. 18000-56900).

and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7.

Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty –six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee:	Not applicable.
(1) Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College	–Chairman
(2) Section Officer, in-charge of Medical Education in Directorate General of Health Services	–Member
(3) Administrative Officer	–Member

[No. A.11018/03/2017-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.

(केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 64.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन दिल्ली से बाहर (रेडियोग्राफर) भर्ती नियम, 1986 और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली (समूह "ग") परा-चिकित्सा तथा साधारण प्रवर्ग भर्ती नियम, 1993 को, जहां तक उनका संबंध रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, रेडियोग्राफर/एक्स-रे तकनीशियन भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।